Advertisements issued to Surya India and Surya International

3936. SHRI MUKHTAR SINGH MALIK: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the details of the advertisements issued to Magazines, Surya India and Surya International by the Directorate of Advertising and Visual Publicity and other Government agencies during 1975-76 and 1976-77; and

(b) whether any criteria was followed for issue of these advertisements and if so, what?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) The Directorate of Advertising and Visual Publicity released two advertisements to "Surya India" in 1976-77. No advertisement was issued by D.A.V.P. to "Surya International". Advertisements worth about Rs. 60.420 were released by Public Sector Undertakings to "Surya India" upto March, 1977.

(b) The statement outlining the criteria is laid on the Table of the Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT-136/77]. Thes ehave since been replaced by new advertising policy of the Government. Even under the earlier criteria, the advertisement rate allowed to Surya India was not warranted The rate admissible according to the rate structure then in vogue was Rs. 686.40 per page, but the magazine was allowed Rs. 4,000 per page.

आवासीय कल्याण समितियां

3937. श्री टी० एस० नेगी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आपात स्थिति के दौरान 'रेजीडेंट्स वेल्फेयर सोसाइटियों' के लिए एक आदर्श संविधान तैयार किया था और उन्हें 'केन्द्रीय कर्मचारी आवासीय कल्याण समिति' नाम दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन समितियों को केन्द्रीय कर्मचारी आवासीय कल्याण समिति नाम देकर इसके अनुदानों का वहां रह रहे सभी सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए उपयोग किया जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) सरकार से सहायक अनुदान प्राप्त करने वाली कल्याण एसोसिएशनों द्वारा उपनियमों के बनाए जाने में कुछ एकरूपता लाए जाने को ध्यान में रखते हुए, अप्रैल, 1976 में कार्मिक विभाग द्वारा एक आदर्श संविधान सभी सम्बन्धितों को उपयुक्त रूप में स्वीकार किए जाने के लिए, प्रचालित किया गया था। ऐसोसिएशनों के नामकरण के प्रश्न पर यह सुझाव दिया गया था कि उनका नाम "केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी निवासी कल्याण संघ (सैंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाईज़ रेजीडेंट्स वेल्फेयर एसोसिएशन)" रखा जाना उपयुक्त होगा, जिसके बाद कालोनी आदि का नाम जोड़ा जाएगा।

एक आदर्श संविधान बनाए जाने का आपात स्थिति की घोषणा के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं था और वास्तव में, आदर्श संविधान बनाए जाने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्य आपात स्थिति की घोषणा किए जाने से पहले ही आरम्भ हो चुका था।

(ख) यह आशा की जाती है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कल्याण एसोसिएशनों को दिए गए अनुदानों का उपयोग उनके द्वारा विशेषरूप से उनके सदस्यों के सभी वैध कल्याणकारी कार्यकलापों के लिए, और सामान्य रूप से उस क्षेत्र में रहने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए, किया जाएगा। सरकार को दिए जाने वाले अनुदानों के उचित प्रयोग के बारे में सन्देह करने का कोई कारण नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।